FORM NO. III

फर्दअहकाम GRIM—A

(नियम 26)

आजअदालत–**उपजिला कलेक्टर** मुकाम– **सपोटरा**

रामराज बनाम स्टेट हो [illegible]

किस्म मुकदमा दरुस्ती अन्तर्गत धारा 136 LRAct नं. 69/17 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाहीमदेइनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकामजोइसहुक्म की तामीलमेंजारीहुए ।
8/11/17	वकील प्रार्थी श्री मनोज कुमार मित्तल एडवोकेट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र U/S 136 एल. आर. एक्ट एवं रिपोर्ट संलग्न का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर हो। तलबी अप्रार्थी जरिये नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक 13/12/17 को पेश हो। Sd/-	Sd/- 2375-78 / 17/11/17
13/12/17	वकील प्रार्थी उपस्थित। पुकार/तुल्हन दिनांक 24/1/18 को पेश हो। Sd/-	
24/1/18	वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी सं. 1 सरकार की ओर से उपस्थित। अप्रार्थी सं. 2 लगायत 4 बावजूद तामील उप. नहीं आये हैं लिहाजा इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए जाते हैं। पत्रावली वास्ते जवाब दि. 21/3/18 को पेश हो। Sd/-	
21/3/18	वकील प्रार्थी उप. पुकार/तुल्हन दि. 17/5/18 को पेश हो। Sd/-	
17/5/18	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अभियान, 2018 में पेश हुई। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। Sd/-	Sd/- Ram [illegible] 22/5/18 [illegible]

न्यायालय उप जिला कलक्टर सपोटरा जिला करौली

पीठासीन अधिकारी– श्री राजपाल यादव आर.ए.एस. उप जिला कलक्टर सपोटरा

मु0नं0	किस्म	ता0दायरा	तारीख फाईनल निर्णय
69 / 17	मुतफरिक	08.11.2017	17.05.2018

रामराज पुत्र श्रीफूल जाति मीना निवासी बालोती तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान। —प्रार्थी

बनाम

1. लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार सपोटरा जिला करौली(राज0)
2. हंसराज पुत्र श्रीफूल जातियान मीना निवासी बालोती तहसील
3. मेघराज । पुत्रान चौथ्या सपोटरा जिला करौली राजस्थान।
4. प्रेमराज ।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अभियानः न्याय आपके द्वार 2018 मे पेश हुई। प्रकरण को कैम्प कोर्ट मे रखा जाकर सुना गया। संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नं0 448, 449 कुल किता 2 का कुल रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम बालोती तहसील सपोटरा मे स्थित है जिसमे प्रार्थी का हिस्सा 1/4 दर्ज है एवं उसी अनुसार काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी का वास्तविक नाम रामराज पुत्र श्रीफूल मीना है जिसके द्वारा जैर आराजीयात जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 24.12.92 को खरीद की गयी। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मे प्रार्थी का सही नाम राजराज पुत्र श्रीफूल दर्ज है, उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बयनामा के नामान्तरकरण मे प्रार्थी का नाम रामराज के स्थान पर राजाराम पुत्र श्रीफूल दर्ज कर दिया गया। इसी आधार पर रेवेन्यू रिकार्ड मे प्रार्थी का गलत नाम राजाराम पुत्र श्रीफूल दर्ज चला आ रहा है जबकि प्रार्थी का सही नाम रामराज पुत्र श्रीफूल होना चाहिए। प्रार्थी के सभी दस्तावेज मे सही नाम रामराज पुत्र श्रीफूल दर्ज है। इसलिए प्रार्थी का वास्तविक नाम रामराज पुत्र श्रीफूल रेवेन्यू रिकार्ड मे दुरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

तहसीलदार सपोटरा से विवादित आराजी के के सम्बन्ध मे रिपोर्ट तलब की गयी। जिसके अनुसार " प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड वयनामा मे प्रार्थी का सही नाम रामराज पुत्र श्रीफूल जाति मीना निवासी बालोती दर्ज है तथा प्रस्तुत दस्तोवजात मे भी प्रार्थी का नाम रामराज पुत्र श्रीफूल जाति मीना ही दर्ज है किन्तु वयनामा का नामान्तरकरण खोलते समय प्रार्थी का नाम राजाराम पुत्र श्रीफूल जाति मीना दर्ज कर दिया गया जो कि गलत है। इसके समर्थन में प्रार्थी ने स्वयं का शपथ पत्र, गवाह मेघराज, हंसराज एवं विकमसिह का शपत्र पेश किये है। अतः राजस्व रिकार्ड मे राजाराम पुत्र श्रीफूल के स्थान पर रामराज पुत्र श्रीफूल जाति मीना किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित हैं। "

उभय पक्षों को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रजिस्टर्ड वयनामा की फोटोप्रति, नामान्तरकरण सं0 665 दिनांक 19.09.2001 की प्रति, जमाबंदी सम्वत् 2071–74 ग्राम बालोती, निर्वाचन पहचान पत्र, शपथ पत्र स्वयं रामराज एवं गवाह मेघराज, हंसराज, विक्रमसिह, ड्राईवर लाईलेंस की प्रति एवं रिपोर्ट तहसीलदार सपोटरा के अनुसार प्रार्थी का रजिस्टर्ड वयनामा मे रामराज पुत्र श्रीफूल जाति मीना दर्ज है जो कि सही है किन्तु वयनामा का नामान्तरकण खोलते समय राजाराम पुत्र श्रीफूल जाति मीना गलत दर्ज हो गया है। इसलिए प्रार्थी का राजस्व रिकार्ड मे राजाराम पुत्र श्रीफूल के स्थान पर रामराज पुत्र श्रीफूल जाति मीना दुरस्त किये जाने योग्य है, प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सपोटरा को प्रार्थी की खातेदारी की आराजी ख0नं0 448, 449 कुल किता 2 कुल रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा ग्राम बालोती तहसील सपोटरा मे प्रार्थी नाम राजाराम पुत्र श्रीफूल के स्थान पर रामराज पुत्र श्रीफूल जाति मीना निवासी बालोती दुरस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय आज दिनांक 17.05.2018 को सरे केम्प कोर्ट लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

पीठासीन अधिकारी(एसडीएम)
राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार"
सपोटरा जिला करौली (राज0)

Scanned by CamScanner